HINDUSTAN TIMES, INDORE
THURSDAY, JULY 14, 2011

# Hospital conducts drug trials without consent

## EOW REPORT Docs misuse govt infrastructure, flout norms

Hindustan Times 14th July 2011 Indore

HT Correspondent
editorbhopal@hindustantimes.com

**INDORE:** The 56-year-old Maharaja Yashwantrao Hospital (MY Hospital) does not seek patients' consent before conducting a drug trial on them. Also, several irregularities have been found in use of insurance cover and positioning of government doctors, said a report by Economic Offence Wing (EOW).

All the ten patients, to whom the investigation team spoke to, came to receive the low cost treatment at this 900-bed hospital. But a drug trial was conducted on them without their knowledge. Even the post-trial care was withdrawn after the trial, said the report. The report further mentions that the doctors misused the government infrastructure for conducting their private drug trials during the official hours at the state run hospital. The Clinical Trial Agreement was also signed without signature of the dean.

"This report can be taken as a base for the other parallel investigations that are going on in the matter," said Amulya Nidhi, a health activist.

The stakeholders in the drug trial process are service provider Principal investigator and Clinical Research Organisation, and multinational companies being the sponsors.

**This report can be taken as a base for the other parallel investigations that are going on in the matter**
AMULYA NIDHI,
Health Activist

Though the sponsors had provided a provision for insurance, doctors continued with trials even after the expiry of the insurance time period.

In the cases where more than 1500 patients died during the trial period from 2008- August 2010, the doctors failed to inform the sponsor. Moreover, the doctors did not attribute the death to the trial and no postmortem was conducted to confirm the same, the report reads.

Sponsors also clarified that the no compensation was given, as the doctors never informed them that the patient died due to adverse effect the trial. Even the ethical committee was never informed about the trial.

Currently, the panel formed at the state level, Lokayukta and health department, is investigating the ethical issues that were raised in conducting the drug trials at MY Hospital from 2006 to 2010.

8 जनसत्ता, दिल्ली, 7 जुलाई, 2011

# दवा परीक्षणों पर मप्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति संदेह के घेरे में

इंदौर, 6 जुलाई (भाषा)। मध्यप्रदेश में दवा परीक्षणों के विवादास्पद सिलसिले के खुलासे के बाद प्रदेश सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति की कार्यप्रणाली पर एक गैर सरकारी संगठन ने संदेह जताया है और मांग की है कि वह सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट जारी करे। 'स्वास्थ्य अधिकार मंच' के अमूल्य निधि ने कहा कि समिति का काम प्रदेश में भविष्य में होने वाले ड्रग ट्रायल के नियम और इस संबंध में प्रस्तावित कानून बनाने के बारे में अपने सुझाव देना है। लेकिन इसकी वर्तमान कार्यप्रणाली को देखते हुए लगता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इन परीक्षणों की 'जांच' में जुटी है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय समिति के विवादास्पद दवा परीक्षण के आरोपी सरकारी डॉक्टरों को बार-बार अपना पक्ष रखने का मौका देना संदेह पैदा कर रहा है।

अमूल्य ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को अपना काम तीन महीने के भीतर पूरा करने को कहा गया था। लेकिन समिति के गठन को एक साल पूरा होने के बावजूद वह अब तक अपनी रिपोर्ट तैयार नही कर सकी है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि समिति सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट जारी करे। इसके साथ ही दवा परीक्षण के मामले में प्रदेश के आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसके आधार पर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।

उधर छह सदस्यीय समिति के सदस्य डॉक्टर भरत छपरवाल ने कहा कि अगर डॉक्टरों का पक्ष सुने जाने के आधार पर गैर सरकारी संगठन समिति की नीयत पर संदेह कर रहे हैं तो मै इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हम दवा परीक्षण के मामलों की जांच नही कर रहे हैं और न ही हमारे पास दंडात्मक शक्तियां हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने बताया कि दवा परीक्षण को लेकर केंद्र सरकार के नियम कायदे और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देश पहले से वजूद में हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार की गठित समिति यह देख रही है कि भविष्य के दवा परीक्षणों के संबंध में क्या इनमें कुछ नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

छपरवाल ने बताया कि ड्रग ट्रायल पर पिछले साल यहां हुई जनसुनवाई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और उन्होंने समिति को एक ज्ञापन सौंपा था। गैर सरकारी संगठनों का आरोप है कि गुजरे एक दशक के दौरान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने मरीजों को अंधेरे में रखकर अवैध व अनैतिक दवा परीक्षण किए। इसके बदले देशी विदेशी दवा कंपनियों से मोटी रकम वसूली। इन आरोपों के बाद प्रदेश सरकार ने शासकीय अस्पतालों में नए दवा परीक्षणों पर अस्थायी रोक लगाते हुए पिछले साल घोषणा की थी कि वह दवा परीक्षण पर एक कानून बनाएगी।

6/07/2011
लोगा विचार

# मानसिक रोगी पर भी ड्रग ट्रायल

**लैवे प्रेज्जोल दवा का किया ट्रायल, पेट की बीमारी के लिए होती है दवा**

इंदौर, डीडीएनएन। डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो फीस लेता है, लेकिन जब कोई डॉक्टर किसी गरीब पिता के मानसिक रोगी बच्चे का यह कहकर इलाज भी करे और उसके बदले हर महीने पैसा भी दे तो इसे सेवा कहते हैं। चाचा नेहरू बाल अस्पताल के डॉक्टर जब चार साल के मानसिक रोगी दीपक का इलाज कर रहे थे तो उनके मन में दवा कंपनी से मिलने वाले पैसों का लालच था। इस दौरान डॉक्टरों को अपने पेशे की मर्यादा का न तो ध्यान रहा और न ही मासूम दीपक की परेशानी का।

सब्जी बेचकर पत्नी रीना और बेटे दीपक की हर जरूरत पूरी करने वाले कंधारीनगर में रहने वाले सूरज को ये पता नहीं था कि चाचा नेहरू अस्पताल के डॉ. हेमंत जैन इलाज के बहाने ड्रग ट्रायल कर रहे हैं।

(शेष पेज 9 पर)

न्यायालय ने विकास प्राधिकरणों को हिदायत दी थी कि सभी प्रकार के निर्माण गंगा व यमुना से पांच सौ मीटर दूर किए जाएं। प्रदूषण को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अरुण टण्डन की खंडपीठ ने यह निर्देश थे।

## मानसिक रोगी पर...

गेस्टो इन्फलक्स रिपक्लेक्स नामक पेट की बीमारी से ग्रस्त दीपक को उसके पिता, उसी अस्पताल की डॉ. रचना गुप्ता के कहने पर डॉ. जैन के पास लेकर गए थे। इसके बाद डॉ. जैन ने दीपक को देखने के बाद विशेष डायग्नोस्टिक सेंटर और सीएचएल अपोलो अस्पताल में कुछ जांच करने को कहा। जब दीपक के पिता सूरज ने जांच कराने में असमर्थता व्यक्त की तो डॉ. जैन ने फ्री इलाज के साथ ढाई सौ रुपए महीना अलग से देने के बात कही। इसके बाद जब-जब दीपक की इन अस्पतालों में जांचें हुईं, चाचा नेहरू अस्पताल से एक कर्मचारी भी साथ गया। इसके बाद नवंबर 09 में डॉ. जैन ने दीपक पर उसकी पेट की बीमारी के लिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की लैवे प्रेज्जोल नामक दवा का ट्रायल शुरू किया। इसमें खास बात यह है कि ट्रायल शुरू करने से पहले दीपक के माता-पिता से केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए, उन्हें न तो ड्रग ट्रायल की जानकारी दी गई और न ही किसी प्रकार का बीमा कराया गया। 2010 में ट्रायल खत्म होने के बाद डॉ. जैन ने दीपक का कोई इलाज नहीं किया।

**क्या है बीमारी**- डॉक्टरों के अनुसार पेट में डायफ्राम होता है। वो जब निर्धारित स्थान पर नहीं होता तो पेट संबंधी गेस्टो इन्फलक्स रिपक्लेक्स नामक बीमारी हो जाती है। लैवे प्रेज्जोल इसी बीमारी के काम आती हैं। दीपक को भी यही बीमारी थी।

**ये है नियम...**- डीसीजीआई के नियमानुसार ड्रग ट्रायल करने से पहले अनुमति संबंधी दस्तावेजों पर मरीज के हस्ताक्षर कराना चाहिए। इसके बाद, पेशन इन्फर्मेशन शीट (पीआईएस) पढ़कर मरीज और परिजन को बताना चाहिए। इसके साथ ही बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। इन सबके बावजूद मनोरोगी पर ट्रायल पूरी तरह प्रतिबंधित है।

### ये कहते हैं जिम्मेदार

- मनोरोगियों पर किसी भी प्रकार के ड्रग ट्रायल नहीं किए जा सकते। विशेष परिस्थितियों में यदि ट्रायल करना हो तो ऐसे मामलों में न्यायालय और माता-पिता की अनुमति के बाद ही करना चाहिए।

**- अमूल्य निधि, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य अधिकार मंच**

गरीब मरीजों पर खतरनाक ट्रायल करके उन्हें मौत के मुंह में धकेलने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।

**- डॉ. आनंद राय, ड्रग ट्रायल उजागर करने वाले**

दीपक के मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैं अभी शहर से बाहर हूं। आप घर आकर बात करो।

**- डॉ. हेमंत जैन, प्रोफेसर, चाचा नेहरू अस्पताल**

co.in
नया ज़माना नया अखबार

# पीपुल्स समाचार

इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

विक्रम 2068 हिजरी 1432 आषाढ़ कृष्ण अमावस्या
इंदौर, शुक्रवार 1 जुलाई 2011

वर्ष-2, अं

टेलर का कीमती सामान

सुखाई में उड़ेंगे

**ड्रग ट्रायल** ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट, डॉक्टरों ने किया नियमों का उल्लंघन, पद का दुरुपयोग

# हे भगवान! जोखिम में जान

भूमिका कलम, भोपाल

मरीजों को गिनी पिग मानकर इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के 6 वरिष्ठ डॉक्टरों ने चार वर्षों में पांच करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर वारे न्यारे किए और 81 मरीजों की जान ले ली। पद का दुरुपयोग करते हुए इन डॉक्टरों ने सरकारी संसाधनों से यह राशि बनाई और संस्थान को एक पाई भी नहीं दी। डॉक्टरों के इस संगीन अपराध का सनसनीखेज खुलासा आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की रिपोर्ट में किया गया है। विडंबना यह है कि इस खुलासे के बावजूद चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और आर्थिक अपराध शाखा भी इन डॉक्टरों का बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में डॉ. अनिल भराणी, डॉ. हेमंत जैन, डॉ. सलिल भार्गव, डॉ. अपूर्व पुराणिक, डॉ. अशोक बाजपेयी, डॉ. पुष्पा वर्मा का नाम शामिल है।

पीपुल्स एक्सक्लूसिव

## ट्रायल में हुए नियमों का उल्लंघन

- नियमानुसार सरकारी सेवारत डॉक्टरों को कमाई का 10 फीसदी संस्थान को देना होता है, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने अस्पताल या कॉलेज को कोई राशि नहीं दी
- ट्रायल में मरीज की मौत होने पर नहीं दिया मुआवजा
- मरिजों से अनुचित तरीके से सहमति ली गई थी
- क्लीनिकल ट्रायल एग्रीमेंट डीन द्वारा अनुमोदित ही नहीं थे
- कंपनी के खर्चों में डॉक्टरों ने विदेश यात्रा की जिसकी अनुमति भी विभाग को नहीं दी

| डॉक्टर का नाम | प्रोटोकॉल की संख्या | ट्रायल में शामिल मरीजों की संख्या | अनुमानित अर्जित धनराशि (2006-2010) | ट्रायल के दौरान हुई मौत | अस्पताल जहां ड्रग ट्रायल किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| डॉ.अनिल भरानी | 15 | 400 | 1,53,00,000 | 30 | एमवाय अस्पताल, इंदौर |
| डॉ.हेमंत जैन | 25 | 2500 | 1,70,00,000 | 18 | चाचा नेहरू बाल चि., इंदौर |
| डॉ. सलिल भार्गव | 20 | 300 | 1,05,00,000 | 18 | एमवाय अस्पताल, इंदौर |
| डॉ. अपूर्व पौराणिक | 7 | 40 | 26,00,000 | 08 | एमवाय अस्पताल, इंदौर |
| डॉ. अशोक वाजपेयी | 5 | 35 | 48,00,000 | 07 | एमवाय अस्पताल, इंदौर |
| डा. पुष्पा वर्मा | 1 | 32 | 8,00,000 | 0 | एमवाय अस्पताल, इंदौर |

ईओडब्ल्यू में शिकायत करने वाले डॉ. आनंद सिंह राय और स्वास्थ्य अधिकार मंच के अमूल्य निधी के अनुसार पैसे के चक्कर में मरीजों को जान जोखिम में डालने वाले डॉक्टरों को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए।

## सीधी बात

**डॉ. एसके सारस्वत,**
संचालक चिकित्सा शिक्षा

**क्या ईओडब्ल्यू ने ड्रग ट्रायल की कोई रिपोर्ट सौंपी है?**

■ हां, रिपोर्ट मिल गई है।

**दोषी डॉक्टरों कार्रवाई होगी?**

■ यह मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हालांकि अब नियमों में संशोधन की कवायद हो रही है।

**अजय शर्मा,**
आईजी आर्थिक अपराध शाखा

**क्या ड्रग ट्रायल की जांच में डॉक्टरों को दोषी पाया गया है?**

■ रिपोर्ट तैयार कर शासन और विभाग को सौंपी गई है। वहीं से कार्रवाई की जानी चाहिए।

**अनियमितताओं के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई?**

■ हां, जांच में अनियमितताएं तो हुई हैं, लेकिन कार्रवाई करना ईओडब्ल्यू के दायरे में नहीं है।

# पद्मश्री श
# ताई मोघे

शोक में डूबा इंदौर का

पीपुल्स संवाददाता, इंदौर

शिक्षा में हिंदी मांटेसरी की जनक एवं प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक पद्मश्री शालिनी ताई मोघे का गुरुवार रात निधन हो गया। उनके निधन की खबर से समूचा शिक्षा जगत स्तब्ध रह गया। समाजसेवियों और शिक्षाविदों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। ताई का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह आठ बजे बाल निकेतन स्कूल में दर्शनार्थ रखा जाएगा। दोपहर तीन बजे उनका रामबाग मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।

## कई उपलब्धियां

शालिनी ताई मोघे ने इंदौर के शिक्षा जगत को कई उपलब्धियां दी। ताई ने 1944 में बाल निकेतन स्कूल की शुरुआत की थी, जिसका रजिस्ट्रेशन 1947 में हुआ था। इस स्कूल का शिलान्यास डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में किया था। ताई को 1961 में पद्मश्री

इंदौर पत्रिका
इंदौर, शनिवार 2 जुलाई, 2011

| सूर्यास्त आज | चंद्रोदय प्रात- | तापमान | आज | पिछला | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:09 बजे | 06:27 बजे | अधिकतम | 34 | 32 | ▲ 2.0 |
| सूर्योदय कल 5:46 बजे | चंद्रास्त आज सायं 7:22 बजे | न्यूनतम | 22.8 | 24 | ▼ 1.2 |



[ये कैसा न्याय] ड्रग ट्रायल करने वालों पर दोष साबित, फिर भी दर्ज नहीं किया केस

# भ्रष्ट डॉक्टरों के साथ है ईओडब्ल्यू...!

**विजय चौधरी** @ इंदौर

जिस जांच एजेंसी पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी हो, वही भ्रष्टाचारियों को बचाने लग जाए तो इसे क्या कहेंगे? बहुर कंपनियों द्वारा विकसित दवा

पत्रिका
एक्सक्लूसिव

का इंसानों पर प्रयोग यानी ड्रग ट्रायल के मामले में यही यक्ष प्रश्न है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छह डॉक्टरों ने 5 साल में 5.10 करोड़ रुपए का घोटाला किया..., 3307 नासमझ रोगियों की जान से खिलवाड़ किया..., अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सरकारी सेवा का दुरुपयोग किया... फिर भी ईओडब्ल्यू को अपराध नजर नहीं आ रहा। ईओडब्ल्यू ने इन डॉक्टरों पर धोखाधड़ी करने, आपराधिक षड़यंत्र रचने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का केस दर्ज करने के बजाय सरकार को पत्र लिख दिया है।

इं के छह डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति के डॉ. आनंद राजे ने जुलाई 2010 में ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जांच ईओडब्ल्यू आईजी अजय शर्मा और एडीशनल आईजी प्रियंका मिश्रा ने की, जो जनवरी में पूरी हुई, पर केस दर्ज करने के बजाय कानूनी राय मांगी गई। इसमें भी बात नहीं बनी तो ईओडब्ल्यू ने खुद को केस दर्ज करने में असमर्थ पाते हुए, चिकित्सा शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेज दी।

## भ्रष्टाचार की कहानी — 6 डॉक्टर, 3307 रोगी, 5.10 करोड़ रुपए

| डॉक्टर | ट्रायल | यहां किए | रोगी | दुष्प्रभाव | रुपए |
|---|---|---|---|---|---|
| हेमंत जैन, शिशु रोग | 25 | चाचा नेहरू अस्पताल | 2500 | 18 | 1.70 करोड़ |
| अनिल भराणी, हृदय रोग | 15 | एमवायएच | 400 | 30 | 1.53 करोड़ |
| सलिल भार्गव, दमा रोग | 20 | एमवायएच | 300 | 18 | 1.05 करोड़ |
| अशोक वाजपेयी, दमा रोग | 05 | एमवायएच | 35 | 07 | 0.48 करोड़ |
| अपूर्व पुराणिक, न्यूरोलॉजी | 07 | एमवायएच | 40 | 08 | 0.26 करोड़ |
| पुष्पा वर्मा, नेत्र रोग | 01 | एमवायएच | 32 | - | 0.08 करोड़ |
| कुल | 73 | दो अस्पताल | 3307 | 81 | 5.10 करोड़ |

## घोटाला, जो साफ दिख रहा

सरकार को जानकारी दिए बगैर डॉक्टरों ने दवा कंपनी से राशि जुटाई। उसे अपने खाते में रखा।
**यह केस संभव–** आईपीसी की धारा 420 (बेईमानी)

सरकारी सेवा में रहते हुए दवा कंपनी के लिए काम करना और रुपए जुटाना। सरकारी अस्पतालों के संसाधनों का इस्तेमाल।
**केस संभव–** आईपीसी की धारा 468 (जालसाजी)

मरीजों के इलाज में लगने वाले समय को ड्रग ट्रायल में लगाना।
**केस संभव–** भ्रष्टाचार निरोधक कानून, जो सरकारी नौकरों पर लागू होता है।

अस्पताल में आए रोगियों को ट्रायल में शामिल किया। उन्हें ट्रायल में शामिल होने की जानकारी नहीं।
**केस संभव–** आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश)



रोगियों का बीमा नहीं किया। कई की तबीयत खराब पर ध्यान नहीं दिया।
**केस संभव–** आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी)

सरकार को सूचना दिए बगैर दवा कंपनियों के खर्च पर विदेश यात्राएं।
**केस संभव–** भ्रष्टाचार निरोधक कानून।

## ज्यादा बोल नहीं सकता

**अजय शर्मा, ईओडब्ल्यू आईजी**

**ड्रग ट्रायल के मामले में हुई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की?**

जांच में जो बातें मालूम हुईं, वे चिकित्सा शिक्षा सचिव को भेज दी हैं।

**आपका दायित्व तो केस दर्ज करना या मामला खारिज करना होता है, फिर सरकार को रिपोर्ट क्यों भेजी?**

आर्थिक अनियमितता का केस दर्ज करने का आधार नहीं बन रहा है। दूसरा मामला है।

**अनियमितताएं तो साफ हैं, फिर भी आपको आधार नहीं मिला?**

इस बारे में मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता।

"

मेरे पास ईओडब्ल्यू से कोई रिपोर्ट नहीं आई। आने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
**डॉ. एनके सारस्वत,** संचालक चिकित्सा शिक्षा

"

मेरे बयान 2 अगस्त 2011 को हुए थे। इसके बाद पूछताछ नहीं की गई। कई बार जानकारी लेने की कोशिश की पर ईओडब्ल्यू अफसरों ने टाल दिया। अभी भी रिपोर्ट नहीं भेजी। सरकार मामले को दबा रही है। ईओडब्ल्यू भी दबाव में है। ऐसे तो भविष्य में कौन आवाज उठाएगा?
**डॉ. आनंद राजे,** शिकायतकर्ता व अध्यक्ष, स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति

ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई नहीं करना आश्चर्यजनक है। सरकार को सभी छह डॉक्टरों को सेवा से बाहर करना चाहिए। सभी के खिलाफ सप्रमाण दस्तावेज उपलब्ध हैं। धोखा देने वाले डॉक्टरों व अफसरों पर जनआंदोलन की तैयारी भी की जा रही है।
**अमूल्य निधि,** सामाजिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य अधिकार मंच

(चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आईएएस वाणी अवकाश पर हैं। प्रभारी सुदेश कुमार से बात करने की कई बार कोशिश की। हर बार जवाब मिला, साहब मीटिंग में हैं।)

पत्रिका
इंदौर, शनिवार 22 जनवरी, 2011

## ड्रग ट्रायलः ईओडब्ल्यू ने पूरी की जांच

# छह नामी डॉक्टर दोषी

### जल्द ही दर्ज होगी एफआईआर, पत्रिका ने किया था भंडाफोड़

अरविंद तिवारी @ इंदौर

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने शहर के छह नामी डॉक्टरों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित दवा लाखों रुपए लेकर बगैर जानकारी मरीजों पर प्रयोग करने के मामले में दोषी पाया है। इन डॉक्टरों के खिलाफ जल्द ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। ड्रग ट्रायल के नाम पर चल रहे इस खेल को सबसे पहले 'पत्रिका' ने उजागर किया था। पत्रिका की खबरों को आधार बनाते हुए शिकायत की गई। लोकायुक्त जांच भी चल रही है। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। छह महीने पहले इंदौर के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल ने इसकी जांच शुरू की थी। छह @ पेज 6

### कुछ ऐसा है ड्रग ट्रायल का लेखाजोखा

डॉ. सलिल भार्गव

अधीक्षक एमवायएच ट्रायल अवधि- 2005 से 2008, मरीज- 43 पैसा -4.5 लाख रोग- डायबिटीक नेफ्रोपैथी और सीओपीडी


डॉ. अपूर्व पुराणिक

प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, ट्रायल अवधि- 2007 से अभी तक, मरीज-39 पैसा-42 लाख रोग- पार्किंस, सिवियर डेमेंशिया


डॉ. अशोक वाजपेयी

पूर्व विभागाध्यक्ष मेडिसिन (प्रो. संजय अवासिया भी साथ) ,अवधि-05 से 10, मरीज-28, पैसा- 41.47 लाख, रोग- अस्थमा, निमोनिया


डॉ. पुष्पा वर्मा

विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग, ट्रायल अवधि- 2005 से अब तक, मरीज- 35 पैसा- इसका खुलासा नहीं हो पाया, रोग- पता नहीं


डॉ. हेमंत जैन

ट्रायल अवधि-2005 से, मरीज-1170 पैसा- 56 लाख रोग-बच्चों में ब्रोंकाइटिस, पोलियो, बीपी, हेपेटाइटिस बी व टिटेनस


डॉ. अनिल भराणी

प्रोफेसर मेडिसिन, ट्रायल अवधि-2005 से, मरीज-237 पैसा- 44 लाख रोग- कोरोनरी सिंड्रोम, स्टेबल एंजाइनमा, सेकंड स्ट्रोक, लकवा

ब्यूरो में पदस्थ अधिकारी प्रियंका मिश्रा ने पहले इंदौर आकर ड्रग ट्रायल संबंधित दस्तावेज जब्त और बाद में इन छह डॉक्टरों से संबंधित कंपनियों से मिले पैसे का हिसाब मांगा था। इसके लिए इन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया गया। ब्यूरो ने डॉक्टरों व परिजनों के बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई। ईओडब्लू ने उन कंपनियों से भी हिसाब मांगा जिनके लिए उक्त डॉक्टरों ने ट्रायल किए। कंपनियों से पूछा गया कि उन्होंने किस डॉक्टर से ट्रायल कराया, कितना पैसा दिया, किन मरीजों पर ट्रायल किया गया और क्या डॉक्टरों को विदेश यात्रा भी कराई गई? पत्रिका में खुलासे के बाद यह मामला विधानसभा तक पहुंचा था।

इंदौर पत्रिका
इंदौर . बुधवार 13 जुलाई, 2011

**ड्रग ट्रायल** रोहाणी ने चिकित्सा राज्यमंत्री हार्डिया से किया सवाल

# 'गड़बड़ी की तो कार्रवाई क्यों नहीं'

## जवाब मिला, एक बार और जांच करवा लेते हैं

ब्यूरो @ भोपाल

चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री महेंद्र हार्डिया से मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने पूछा, ड्रग ट्रायल के मामले में अनियमितता हुई, आप खुद दोष स्वीकार कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर से जांच करवाने की क्या जरूरत है? हार्डिया ने बताया, किस नियम में अनियमितता की गई, इसकी जांच जरूरी है।

## जांचें और कमेटियों का 'ट्रायल'

विधानसभा द्वारा चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव आईएस दाणी की अध्यक्षता में बनी कमेटी। इसे प्रदेश के लिए नियम बनाना हैं।

ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि डॉ. जैन के साथ ही इंदौर के डॉ. अपूर्व पुराणिक, अशोक वाजपेयी, सलिल भार्गव, पुष्पा वर्मा और अनिल भराणी ने भारी अनियमितता की है। सबने मिलकर पांच साल में अनैतिक ट्रायल किए और कंपनियों से 5 करोड़ 10 लाख रुपए लिए।

लोकायुक्त ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रकरण दर्ज किया है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव से पूछताछ की गई है।

## डॉक्टर ने लिए पैसे

प्रश्नकाल के दौरान हार्डिया निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा के प्रश्न का उत्तर देने के दौरान ये चर्चा हुई। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल के शिशु रोग प्रोफेसर डॉ. हेमंत जैन ने सरकारी नौकरी में दवा कंपनियों से रुपए लिए। हार्डिया ने बताया, जो नियम हैं, जांच करवा लेंगे। रोहाणी ने इस पर पूछा, अनियमितता हुई है क्या? हार्डिया बोले, हां, हुई तो है। रोहाणी ने इस पर कहा, आप खुद दोष स्वीकार कर रहे हैं। गड़बड़ी @ पेज 6

## गड़बड़ी...

रोहाणी ने मंत्री को निर्देश दिए कि वे मामले को गंभीरता से लें। हार्डिया ने कहा कि नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, की जाएगी। सकलेचा ने यह मामला भी उठाया कि उत्तर में विरोधाभास हैं। फेमिदा बी पुत्री अब्दुल हमीद, माया पुत्री दिनेश, माला पुत्री लक्ष्मण और साना पुत्री आरिफ खां गंभीर कुप्रभाव के शिकार हुए लेकिन उनमें कुप्रभाव नहीं बताए गए हैं। बच्चे का जन्म 2010 में हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन 2007 में कर लिया गया। यह कैसे संभव है? ऐसे दस बच्चे हैं।

## विदेश यात्रा की भी जांच

ड्रग ट्रायल के लिए डॉ. जैन द्वारा विदेश यात्रा करने के मामले की जांच भी कराई जाएगी। आरोप है कि उन्होंने मप्र सिविल सेवा आचरण नियमों का पालन नहीं किया है। सदन में बताया गया, डॉ. जैन ने इन 5 साल में कंपनियों से 1 करोड़ 44 लाख 59 हजार 357 रुपए लिए। उन्होंने 1833 बच्चों पर ड्रग एवं वेक्सीन ट्रायल के लिए दवा कंपनियों द्वारा प्रायोजित फ्रांस और स्विट्जरलैंड की यात्रा भी की। इसकी स्वीकृति भी उन्होंने नहीं ली।

दैनिक भास्कर

इंदौर : बुधवार
13 जुलाई 2011



विस में उठा मामला, स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने कहा

# ड्रग ट्रायल की जांच के लिए बनेगी समिति

भास्कर संवाददाता | इंदौर/भोपाल

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा गुपचुप तरीके से किए गए ड्रग ट्रायल का मामला मंगलवार को विधानसभा में फिर गूंजा।

मुद्दा उठा कि शासकीय सेवक होने के बावजूद डॉक्टरों ने दवा कंपनियों से शासन की बगैर जानकारी करोड़ों रुपया कैसे ले लिया? इस पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री महेंद्र हार्डिया के पास सीधा कोई जवाब तो नहीं था लेकिन उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जा रही है। हालांकि ड्रग ट्रायल के आरोपों में एमवाय के छह और निजी अस्पतालों के 40 डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत हुई है। यह बात अलग है कि ड्रग ट्रायल के बदले मोटी रकम वसूलने की अनियमितता में कई और सरकारी डॉक्टर भी शामिल हैं।

शेष | पेज 9

## ये है मामला

क्लिनिकल ड्रग ट्रायल के दौरान डॉक्टरों द्वारा की गई अनियमितता का मामला पिछले साल से चर्चा में है। एमवाय अस्पताल के डॉ. अनिल भराणी, डॉ. अपूर्व पुराणिक, डॉ. पुष्प वर्मा, डॉ. सलिल भार्गव, डॉ. अशोक वाजपेयी व डॉ. हेमंत जैन सहित कई डॉक्टर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल कर रहे थे। सरकारी अस्पताल में ट्रायल के बावजूद इन्होंने कॉलेज को एक रुपया भी जमा नहीं कराया। जबकि नियमानुसार इन्हें ट्रायल राशि का 10 फीसदी कॉलेज खाते में जमा कराना था। इन्होंने दवा कंपनी से मिली राशि का ऑडिट भी नहीं कराया। जून 2009 में भास्कर ने डॉक्टरों की अनियमितता का मुद्दा उठाया था। इसके बाद 2010 में विस में फिर यह मामला गूंजा। तब विधायकों ने आरोप लगाए थे कि एमवाय व चाचा नेहरू अस्पताल में जो ट्रायल हो रहे हैं, उसमें कई मरीजों की जान भी चली गई।

## पेज 1 के शेष

### ड्रग ट्रायल...

विधायक पारस सखलेचा ने विधानसभा में कहा कि सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1956 के तहत किसी दवा कंपनी से शासन की बगैर जानकारी के पैसा लेना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यह एमसीआई के नियमों का भी उल्लंघन है। कोई भी डॉक्टर दवा कंपनी से किसी तरह का उपहार नहीं ले सकता। श्री सखलेचा ने चाचा नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमंत जैन द्वारा किए गए ड्रग ट्रायल पर भी सवाल किए। उनका आरोप था कि डॉ. जैन ने वर्ष 2007 से 10 तक किए गए ड्रग ट्रायल के बदले दवा कंपनियों से एक करोड़ 45 लाख रुपए लिए।

**बिना अनुमति चले गए विदेश :** विधानसभा में उन्होंने यह जानकारी भी दी कि डॉक्टर ने सन 2008 से 09 के बीच तीन बार बतौर डब्ल्यूएचओ सलाहकार इंग्लैंड और फ्रांस की यात्रा की। जबकि इसकी अनुमति पूरे आठ माह बाद शासन की तरफ से दी गई।

दो बार अलग-अलग जानकारी क्यों? बच्चों पर किए गए ट्रायल को लेकर विधानसभा द्वारा पहले विधायक को यह जानकारी दी गई थी कि 1835 बच्चों पर ट्रायल हुए और इनमें से चार पर गंभीर परिणाम आए। वहीं मंगलवार को दी गई जानकारी में बताया गया कि पोलियो वैक्सीन के ट्रायल में किसी भी बच्चे पर कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ। इस पर सखलेचा ने कड़ी आपत्ति ली। उन्होंने इसकी भी जांच करवाने की मांग की।

**महिलाओं की बीमारी, ट्रायल लड़कों पर :** विधायक ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कंपनी मर्क की दवा का सर्वाइकल कैंसर के लिए 2010 में 44 बच्चों पर ट्रायल किया गया। इसमें 11 लड़के थे जबकि यह बीमारी महिलाओं में पाई जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोरिया की एक दवा कंपनी के परीक्षण में वर्ष 2007 में तीन बच्चों का पंजीयन जन्म से तीन साल पहले आखिर कैसे किया गया। उन्होंने दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह मुझे विधानसभा से ही मिले है।